अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016.

सं0 10/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2010 में,--

(i) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**5. उत्पादित समझी गई मात्रा–**

अधिसूचित मालों की मात्रा, जिनकी खुदरा विक्रय कीमत नीचे दी गई सारणी 1 या सारणी 2 के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट है, उनको एक पैकिंग मशीन के उपयोग द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, जिनकी वह अधिकतम पैकिंग गति, जिस पर उनका अधिसूचित मालों की पैकिंग के लिए, यथास्थिति, जैसा सारणी 1 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) या स्तंभ (6) या सारणी-2 के स्तंभ (4) या स्तंभ (5) या स्तंभ (6) में प्रचालन करके उत्पादन किया जाता है प्रतिमास, यथास्थिति, सारणी-1 के स्तंभ (3क) या स्तंभ (3ख) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ (5क) या स्तंभ (5ख) या स्तंभ (6) या सारणी 2 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) या स्तंभ (6क) या स्तंभ (6ख) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रविष्टि के समतुल्य होगी ।

सारणी-1

क्रम सं0	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	चबाने वाले तंबाकू, जिसके अंतर्गत फिल्टर खैनी है, के लिए प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन क्षमता (पाउच की संख्या)			
		चबाने वाला तम्बाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न)			फिल्टर खैनी
		प्रति मिनट 300 पाउच तक	प्रति मिनट 301 पाउच 450 तक	प्रति मिनट 451 पाउच और उससे ऊपर तक	कोई भी गति

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
		चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित	चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित	चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित	
		(3क)	(3ख)	(4क)	(4ख)	(5क)	(5ख)	
1.	1.00 रु0 तक	6988800	6639360	9984000	9484800	21216000	20155200	4243200
2.	1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1.50 रु0 से अनधिक	6988800	6639360	9984000	9484800	21216000	20155200	4243200
3.	1.50 रु0 से अधिक किन्तु 2.00 रु0 से अनधिक	6289920	5940480	8985600	8486400	19094400	18033600	4031040
4.	2.00 रु0 से अधिक किन्तु 3.00 रु0 से अनधिक	6289920	5940480	8985600	8486400	19094400	18033600	3829488
5.	3.00 रु0 से अधिक किन्तु 4.00 रु0 से अनधिक	5870592	5521152	8386560	7887360	17821440	16760640	3638014
6.	4.00 रु0 से अधिक किन्तु 5.00 रु0 से अनधिक	5870592	5521152	8386560	7887360	17821440	16760640	3456113
7.	5.00 रु0 से अधिक किन्तु 6.00 रु0 से अनधिक	5870592	5521152	8386560	7887360	17821440	16760640	3283307
8.	6.00 रु0 से अधिक किन्तु 7.00 रु0 से	5591040	5241600	7987200	7488000	16972800	15912000	3119142

	अनधिक							
9.	7.00 रु0 से अधिक किन्तु 8.00 रु0 से अनधिक	5591040	5241600	7987200	7488000	16972800	15912000	2963185
10.	8.00 रु0 से अधिक किन्तु 9.00 रु0 से अनधिक	5591040	5241600	7987200	7488000	16972800	15912000	2815026
11.	9.00 रु0 से अधिक किन्तु 10.00 रु0 से अनधिक	5591040	5241600	7987200	7488000	16972800	15912000	2674274
12.	10.00 रु0 से अधिक किन्तु 15.00 रु0 से अनधिक	5255578	4992799	7507968	7132570	15954432	15156710	2674274
13.	15.00 रु0 से अधिक किन्तु 20.00 रु0 से अनधिक	4940243	4693231	7057490	6704615	14997166	14247308	
14.	20.00 रु0 से अधिक किन्तु 25.00 रु0 से अनधिक	4643828	4411637	6634041	6302338	14097336	13392469	
15.	25.00 रु0 से अधिक किन्तु 30.00 रु0 से अनधिक	4365199	4146939	6235998	5924198	13251496	12588921	
16.	30.00 रु0 से अधिक किन्तु 35.00 रु0 से अनधिक	4103287	3898122	5861838	5568746	12456406	11833586	
17.	35.00 रु0 से अधिक किन्तु 40.00 रु0 से	3857090	3664235	5510128	5234622	11709022	11123571	

	अनधिक							
18.	40.00 रु0 से अधिक किन्तु 45.00 रु0 से अनधिक	3625664	3444381	5179520	4920544	11006481	10456156	
19.	45.00 रु0 से अधिक किन्तु 50.00 रु0 से अनधिक	3408124	3237718	4868749	4625312	10346092	9828787	
20.	50.00 रु0 से अधिक	3408124	3237718	4868749	4625312	10346092	9828787	

टिप्पण :-- क्रम सं. 12 के सामने, स्तंभ सं. (2) में फिल्टर खैनी से संबंधित प्रविष्टि रुपए 10.01 और उससे ऊपर के रूप में पठित होगी ।

सारणी-2

क्रम सं0	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	जर्दा सुगंधित तम्बाकू और अविनिर्मित तंबाकू के लिए प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन उत्पादन की क्षमता (पाउच की संख्या)				
		जर्दा सुगंधित तम्बाकू			अविनिर्मित तम्बाकू	
		प्रति मिनट 300 पाउच तक	प्रति मिनट 301 पाउच 450 तक	प्रति मिनट 451 पाउच और उससे ऊपर तक	कोई गति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
					चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	**चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित**
					(6**क**)	(6**ख**)
1	1.00 रु0 तक	6988800	9984000	21216000	4992000	4742400
2	1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1.50 रु0 से अनधिक	6988800	9984000	21216000	4992000	4742400
3	1.50 रु0 से अधिक किन्तु	6289920	8985600	19094400	4492800	4243200

	2.00 रु0 से अनधिक					
4	2.00 रु0 से अधिक किन्तु 3.00 रु0 से अनधिक	6289920	8985600	19094400	4492800	4243200
5	3.00 रु0 से अधिक किन्तु 4.00 रु0 से अनधिक	5870592	8386560	17821440	4193280	3943680
6	4.00 रु0 से अधिक किन्तु 5.00 रु0 से अनधिक	5870592	8386560	17821440	4193280	3943680
7	5.00 रु0 से अधिक किन्तु 6.00 रु0 से अनधिक	5870592	8386560	17821440	4193280	3943680
8	6.00 रु0 से अधिक किन्तु 7.00 रु0 से अनधिक	5591040	7987200	16972800	3993600	3744000
9	7.00 रु0 से अधिक किन्तु 8.00 रु0 से अनधिक	5591040	7987200	16972800	3993600	3744000
10	8.00 रु0 से अधिक किन्तु 9.00 रु0 से अनधिक	5591040	7987200	16972800	3993600	3744000
11	9.00 रु0 से अधिक किन्तु 10.00 रु0 से अनधिक	5591040	7987200	16972800	3993600	3744000
12	10.00 रु0 से अधिक किन्तु 15.00 रु0 से अनधिक	5255578	7507968	15954432	3753984	3566285
13	15.00 रु0 से अधिक किन्तु 20.00 रु0 से अनधिक	4940243	7057490	14997166	3528745	3352308
14	20.00 रु0 से अधिक किन्तु 25.00 रु0 से अनधिक	4643828	6634041	14097336	3317020	3151169
15	25.00 रु0 से अधिक किन्तु 30.00 रु0 से अनधिक	4365199	6235998	13251496	3117999	2962099
16	30.00 रु0 से अधिक किन्तु 35.00 रु0 से अनधिक	4103287	5861838	12456406	2930919	2784373
17	35.00 रु0 से अधिक किन्तु 40.00 रु0 से अनधिक	3857090	5510128	11709022	2755064	2617311
18	40.00 रु0 से अधिक किन्तु 45.00 रु0 से अनधिक	3625664	5179520	11006481	2589760	2460272
19	45.00 रु0 से अधिक किन्तु 50.00 रु0 से अनधिक	3408124	4868749	10346092	2434375	2312656

20	50.00 रु0 से अधिक	3408124	4868749	10346092	2434375	2312656”.

स्पष्टीकरण,-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यदि बहु ट्रेक या बहु पंक्ति पैकिंग मशीनें हैं तो ऐसे किसी एक ट्रेक या पंक्ति को प्रतिमास प्रति प्रचालनशील पैकिंग मशीन पाउच की संख्या की संगणना के प्रयोजनों के लिए एक व्यष्टिक पैकिंग मशीन समझा जाएगा ।” ;

(ii) नियम 6 के उपनियम (3) में, पांचवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 के प्रवृत्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक उपायुक्त द्वारा 1 मार्च, 2016 से की अवधि के लिए वार्षिक उत्पादन क्षमता का पुन: अवधारण किया जाएगा ।”;

(iii) नियम 9 में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि मार्च, 2016 मास के लिए संदेय मासिक शुल्क का संदाय 15 मार्च, 2016 को या उससे पूर्व किया जाएगा ।”;

(iv) प्ररूप 2 के क्रम सं. 4 की मद (iv) में सारणी और दृष्टांत के पश्चात्, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“सारणी

क्रम सं0	**शुल्क**	**कुल शुल्क का ब्रेकअप (पहले से ही विहित शुल्क अनुपातों के अनुसार)**	**उपलब्ध केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय**	**शुल्क के संदाय के लिए प्रयुक्त केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय**	**शुल्क का नकद संदाय**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उदग्रहणीय शुल्क	83500	10000	10000	73500
2	वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	6190	1000	1000	5190
3	वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 4) की धारा 5 के अधीन उदग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा समाश्रित शुल्क	10310	1500	1500	8810
4	वित्त अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 के अधीन उदग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0	0.0	0.0	0.0
5	वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 के	0.0	0.0	0.0	0.0

	अधीन उदग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर				
	कुल शुल्क	100000	12500	12500	87500.”.

[फा.सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 11/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 27 फरवरी, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 127(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 13/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 347(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।